न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः सुश्री अन्जु शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 95 / 2021

उनवान

1. लक्ष्मण पुत्र गौतम चरपोटा, निवासी निचला पातेला, सदस्य राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पातेला में स्कुल डेवलपमेन्ट एवं मैनेजमेंट समिति का सदस्य, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
2. मणिलाल पिता हवजी, जाति भील, निवासी निचला पातेला, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
3. गणेश पिता गलिया, जाति भील, निवासी निचला पातेला, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
4. कैलाश पिता मोतिया, जाति भील, निवासी निचला पातेला, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
5. धना पिता कमजी, जाति भील, निवासी निचला पातेला, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।

—: प्रार्थीगण

बनाम

1. रमण पिता गलिया, जाति भील, निवासी निचला पातेला, हाल तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
2. तहसीलदार, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत नियम 17 राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन व विक्रय नियम 1984)

निर्णय

दिनांक 29.5.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि आप श्री आवंटन अधिकारी (एस.डी.ओ. साहब) गढ़ी, जिला बांसवाड़ा राजस्थान द्वारा दिनांक 31.12.2001 को अप्रार्थी रमण के नाम आराजी नम्बर 40 में रकबा 0.08 हे0 कृषि भूमि, वाके ग्राम जौलाना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा राजस्थान में आवंटन की गई है। उक्त आवंटन आदेश से अप्रसन्न, असतुष्ट व व्यथित होकर प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है कि, अप्रार्थी को किया गया आवंटन विधि विरुद्ध होकर आवंटन प्रावधानों के विपरित होने से काबिल निरस्ती है। अप्रार्थी को की गई आवंटन भूमि पूर्व में दिनांक 02.01.1990 को तत्कालिन कलेक्टर साहब के आदेश क्रमांक/एफ 2/30/राज./86/1—2 दिनांक 02.01.1990 में उक्त भूमि के पुराने सर्वे नम्बर 13 कुल रकबा 38 बीघा 10 बिस्वा में से 05 बीघा भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पातेला के नाम भवन व मैदान के लिये आवंटन की गई थी, परन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से उक्त आवंटनशुदा भूमि का स्कुल के नाम नामांतरण नही खोला गया है। उक्त कृषि भूमि पर कभी भी अप्रार्थी का कब्जा रहा है न ही उसने कभी काश्त की है एवं उक्त स्कुल के नाम से आवंटन की गई कृषि भूमि का पूर्व में सन् 1990 में सेटलमेंट के समय आराजी नम्बर 13 था तथा सेटलमेंट के बाद नया आराजी नम्बर 40 बना है उसके पास में लगी हुई अप्रार्थी को आंवटन की गई भूमि है। अप्रार्थी ने हल्का पटवारी से मिलकर गलत जांच रिपोर्ट कराकर जिसके हाल न. 8097/40 रकबा 0.08 हे0 भूमि आवंटन कराई गई है। यह आवंटन विधि विरुद्ध है, क्योंकि यह भूमि आज भी स्कुल मैदान के रुप में पडत है एवं इस भूमि पर अप्रार्थी द्वारा काश्त नही की गई है एवं केवल पेपर आवंटन किया गया

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

है। उक्त भूमि आवंटन करने के पूर्व नियम 7 व 8 के अनुसार कोईआवंटन लिस्ट तैयार नही की गई है एवं आवंटन के पूर्व नियमानुसार कोई पब्लिकेशन नही करवाया गया है, इस आवंटन में नियमों की पालना नही की गई है, इसलिये अप्रार्थी का आवंटन काबिल निरस्ती है। इस आवंटन के संबंध में नियमानुसार कोई सूचना जारी नही की गई है तथा एक ही दिन में प्रशासन गांवो के संग अभियान 2001 के तहत ताबडतोड आवंटन किया गया है और कोई जांच नही करवाई गई है तथा नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति का गठन नही किया गया है। आवंटन शर्तो के मुताबिक अप्रार्थी को आज तक मौके पर उक्त भूमि का कब्जा सुपूर्द नही किया गया है तथा अप्रार्थी ने उक्त भूमि पर आज तक कृषि नही की है, इस प्रकार आवंटन नियमों की पालना नही की गई है जबकि नियमानुसार आवंटन के पश्चात् अप्रार्थी को मौके पर कब्जा सुपूर्द नही किया गया है और न ही कब्जा सुपूर्दगी के संबंध में आवंटन की शर्तो के अनुसार आप श्री उपखण्ड अधिकारी को कब्जा सुपूर्द करने की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई है। अप्रार्थी ने नियमानुसार आवंटन के प्रथम वर्ष में आधी भूमि पर तथा इसके शेष दूसरे वर्ष में शेष भूमि पर खेती नही की है तथा न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश की है, इसलिये अप्रार्थी का आवंटन काबिल निरस्ती है। उक्त आवंटन के लिये आवंटन पत्र आवंटित के लिये आवेदन पत्र आवंटित करने के लिये कोई उद्घोषणा जारी नही की है तथा चुपचाप एक ही परिवार के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सारी कार्यवाही दोषपूर्ण की गई है। अप्रार्थी ने आवंटन आदेश कपटपूर्ण व दूव्यपदेशन के द्वारा प्राप्त किया है जो कि आप न्यायालय को किसी भी समय ऐसे आवंटन को निरस्त करने का कानूनन प्रावधान है माही एलोटमेंट आवंटन नियम 15 (5) (4) के प्रावधान अनुसार If it is the discover any time that any information submitted by any applicant is false or if any allottee fails to cultivate the land personally the entire land allotteed may be resumenerd by the allotting authority without payment of compensation इस प्रकार उक्त प्रावधान के अनुसार गलत सूचना के आधार पर आवंटन कराता है तो ऐसा आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है एवं आवंटन विधि विरुद्ध होने से काबिल निरस्ती है। प्रार्थी संख्या 01 उक्त रा.प्रा.वि. पातेला का स्कुल डेवलपमेन्ट एवं मैनेजमेंट समिति का सदस्य है तथा अन्य प्रार्थीगण के बच्चे उक्त विद्यालय में अध्ययन करते है एवं प्रार्थीगण को उक्त आवंटन की जानकारी आज से दो माह पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा गांव के लोगों पर स्कूल की जमीन हडपने बाबत झुठा दावा आप न्यायालय में पेश करने से प्रार्थीगण को उक्त तथ्य की जानकारी होने से उन्होंनें राजस्व रेकॉर्ड की नकल प्राप्त की तब उन्हे ज्ञात हुआ कि, अप्रार्थी ने झूठे तथ्य पेश कर स्कुल आवंटनशुदा जमीन पर गलत व विधि विरुद्ध आवंटन करवाया है, इसलिये प्रार्थीगण स्कुल के पक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है तथा स्कुलं के प्रधानाध्यापक प्रार्थीगण के साथ नही होने से प्रार्थीगण स्वयं यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है। अप्रार्थी को दिनांक 31.10.2001 को आराजी नम्बर 40 में से रकबा 0.08 हे0 कृषि भूमि वाके ग्राम जौलाना में आवंटित की गई है जिसका नया सर्वे नम्बर 8097/40 रकबा 0.08 हे0 भूमि बना है, को निरस्त कराने प्रार्थना–पत्र पेश हुआ।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 को कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही होने पर दिनांक 31.5.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही नियत की जाकर प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 02 भूमिधारी तहसीलदार, अरथूना से रिकार्ड व मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली जाने पर तहसीलदार अरथूना के पत्रांकः राज. /2023/182 दिनांक 16.02.2023 द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया गया कि मौजा जौलाना के आराजी नम्बर 8097/40 रकबा कमशः 0.08 हे0, किस्म–का.का. भूमि रमण पुत्र गलिया जाति भील सा.देह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड होकर उक्त आराजी नम्बर 8097/40 रकबा 0.08 हे0 में से रकबा 0.02 हे0 भूमि पर आम रास्ता एंव माही नहर की वितरीका बनी हुई होना तथा रकबा 0.06 हे0 भूमि मौके पर पड़त होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (खेल मैदान के रूप में)

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

उपयोग में ली जाना तथा गैर खातेदार का मौके पर कब्जा काश्त नही होना अवगत कराया। तत्पशचात् प्रकरण में प्रार्थी अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सूनी गई।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, अभिलेख तथा तहसीलदार अरथूना द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट आदि का अवलोकन एंव प्रार्थी अभिभाषक की बहस पर संक्षिप्त मनन किया जाने पर ज्ञात आया कि अप्रार्थी को आवंटित की गई भूमि पर अप्रार्थी द्वारा आदिनांक तक काबिज होकर काश्त नही की गई है तथा आवंटित की गई भूमि में से रकबा 0.02 हे0 भूमि में आम रास्ता एंव माही नहर की वितरीका बनी होकर रकबा 0.06 हे0 भूमि वर्तमान में खेल मैदान के प्रयोजन हेतु उपयोग व उपभोग में ली जा रही है। अप्रार्थी द्वारा भूमि आवंटन शर्तो कर पालना नही की गई है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 रमण पिता गलिया भी सा. देह गैर खातेदार के नाम पटवार हल्का जौलाना के मौजा जौलाना के तत्समय के सर्वे नम्बर 40 रकबा 0.08 हे0 के जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 की खाता संख्या 735 (नई) 699 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 8097/40 रकबा 0.08 हे0 भूमि के आवंटन को निरस्त किया जाकर उक्त सर्वे नम्बर 8097/40 रकबा 0.08 हे0 भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.5.2024 को जारी किया गया।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवा..